

**मांग संख्या 17**  
**मुख्य शीर्ष 2425**

**मद क्रमांक 1 से 3**

अधीक्षण कार्यालय के मंहगाई एवं अन्य भत्ते हेतु राशि ` 38.35 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 38,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

निदेशन कार्यालय के मंहगाई भत्ते हेतु राशि ` 6.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 6,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5 से 6**

ऑडिट बोर्ड कार्यालय के वेतन एवं मंहगाई भत्ते हेतु राशि ` 59.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 59,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7**

कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान अंतर्गत राशि ` 1327.86 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 13,27,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4425**

**मद क्रमांक 8**

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा को क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु राशि ` 600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 6408**

**मद क्रमांक 9**

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 250 गोदामों के निर्माण (अनुमानित लागत ` 1875.00 लाख) का प्रस्ताव नाबार्ड को आर.आई.डी.एफ. के 17वें चरण के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।